# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा    पंचम सत्र    अंक-11

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025</u>

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

### 1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 12, 17, 18, 19 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमश: श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री जनक ध्रुव, भोलाराम साहू अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या-09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री धरमलाल कौशिक के स्थान पर श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

### 2. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या-15 पर चर्चा के दौरान श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

## 3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

## 4. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा एवं श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में उपार्जित धान का उचित निराकरण नहीं होने के कारण आर्थिक क्षति होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

## 5. स्थगन प्रस्ताव

### प्रदेश में उपार्जित धान का उचित निराकरण नहीं होने के कारण आर्थिक क्षति होना

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में उपार्जित धान का उचित निराकरण नहीं होने के कारण आर्थिक क्षति होने के संबंध में 31 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुईं । डॉ.चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने पर पढ़ी गई।

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

## 6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री

इंद्रशाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती कविता प्राण लहरे

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

## 7. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

**(सदन की कार्यवाही 12.23 बजे स्थगित की जाकर 12.38 बजे समवेत हुई।)**

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

## 8. पृच्छा

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो विधान सभा में कार्यवाही होती है, यह विधान सभा की प्रापर्टी होती है और बिना विधान सभा की अनुमति के हम उसको कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन देखा यह गया है कि कई लोग जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, वे बजट भाषण को भी रिकार्डिंग कर रहे हैं और अपने ऑफिशियल आई.डी. से उसको शेयर कर रहे हैं।

आसंदी से व्यवस्था आने से पहले व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने आसंदी से आग्रह किया कि आज देश में व्यवस्थाओं में इतना खुलापन आ गया है कि राज्य सभा, लोकसभा की टी.वी. दिनभर चलती है । इसी प्रकार विधान सभा से दिनभर कार्यवाही का प्रसारण हो तो यह आपके कार्यकाल में एक अच्छा कदम होगा।

इस संबंध में सर्वश्री देवेन्द्र यादव, धर्मजीत सिंह सदस्य एवं श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने भी विचार व्यक्त किये।

## 9. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है और उसका पालन हम सबको करना चाहिए और करना कानून के तहत् भी है कि विधानसभा की प्रक्रिया और नियम के अनुसार केवल प्रश्नकाल को हम सार्वजनिक करते हैं और यह पब्लिक डोमेन में जाता है। प्रश्नकाल के अतिरिक्त जिस विषय पर यहां पर यह परम्परा और प्रक्रिया शुरू हुई है कि उसके समाचार बनाकर अलग-अलग क्षेत्रों मे व्हाट्सप ग्रुप में बाकी जारी करते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि छत्तीगढ़ विधानसभा में जिस चीज की छूट नहीं है, उसका पालन सबको करना चाहिए और विधानसभा में प्रश्नकाल में जो आ रहा है, उसको आप अपने सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, उसके अतिरिक्त डालना उचित नहीं है और इसके संबंध में सभी सदस्य आगे के लिये इसकी जानकारी रखें।

मेरा माननीय मंत्रिगण, माननीय सभी सदस्य सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से पुन:श्च अनुरोध है कि सभा के नियम, परंपरा और समय-समय पर पत्रक के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए सभा में मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग के निषेध सहित सभा भवन परिसर के विभिन्न कक्षों में स्थापित सी.सी.टी.वी. के माध्यम से टी.वी. में प्रसारित कार्यवाही को गोपनीय बनाए रखने के अपने दायित्व का पालन तद्नुसार सुनिश्चित करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर के विधान सभा से दिनभर प्रसारण संबंधी आग्रह के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि-वर्तमान में व्यवस्था नियम, प्रक्रिया एवं प्रावधानों के तहत् ही करेंगे। भविष्य में क्या करना है, कभी चर्चा होगी तो उस चर्चा को आगे बढ़ायेंगे।

## 10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य अनुपस्थित (सूचना प्रस्तुत नहीं।)

(2) श्री इन्द्र साव, सदस्य ने विकास खण्ड दुलदुला अंतर्गत ग्राम छेरडांड़ से कस्तुरा जामपानी तक प्रधानमंत्री सड़क अत्यंत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले

(3) श्रीमती अंबिका मरकाम

(4) श्रीमती चातुरी नंद

(5) श्री रामकुमार यादव

## 12. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 11, श्रम से संबंधित मांग संख्या-18 प्रस्तुत की।

**मांग संख्या-11** पर श्री लखेश्वर बघेल, **मांग संख्या-18** पर श्री लखेश्वर बघेल के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

**(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजेश मूणत, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, देवेन्द्र यादव, सुशांत शुक्ला, अजय चन्द्राकर, ब्यास कश्यप,

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।**

**मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

(2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या- 34, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-55 प्रस्तुत की।

**मांग संख्या-34** पर श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-55** पर श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

**(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री चैतराम अटामी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, जनक ध्रुव,

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।**

**मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

(3) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या- 8, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-9, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या-58, खेल एवं युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43 प्रस्तुत की।

**मांग संख्या-8** पर श्री लखेश्वर बघेल, **मांग संख्या-9** पर डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री ब्यास कश्यप, **मांग संख्या-43** पर डॉ. चरणदास महंत, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

**(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री प्रबोध मिंज, कुंवर सिंह निषाद

**(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन,

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।**
**मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

(4) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-79, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-50 प्रस्तुत की।

**मांग संख्या-19** पर डॉ. चरणदास महंत, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री रामकुमार यादव, राघवेन्द्र सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

## 13.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को अपराह्न 2.30 बजे से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के सम्मुख स्थित लॉन में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से **"होली मिलन समारोह"** आयोजित है, जिसमें माननीय सदस्यगण के साथ श्री राकेश तिवारी एवं साथियों द्वारा **"फाग गीत"** तथा पद्श्री डॉ.सुरेन्द्र दुबे द्वारा हास्य कविता पाठ का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जावेगा। आप सभी माननीय सदस्यगण उक्त **"होली मिलन समारोह"** में सादर आमंत्रित हैं।

**(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अटल श्रीवास्तव, पुन्नूलाल मोहले

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रामकुमार यादव, ब्यास कश्यप

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।**
**मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**रात्रि 10.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 (फाल्गुन-21, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

**दिनेश शर्मा**
**सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**